राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार–कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

–: खाद्य विश्लेषक के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति :–

[illegible]– संस्था/ई–26./वि.भ./अर्थना/17/215 दिनांकः–15/09/17

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य [illegible] में खाद्य विश्लेषको के 11 रिक्त पदों को स्थाई रूप से भरने हेतु अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत दो [illegible] के प्रोबेशन काल पर उपयुक्त अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। भरे जाने वाले पदों का [illegible]वार विवरण निम्न प्रकार है :–

[illegible]	सामान्य वर्ग			आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)												विशेष जन (निःशक्तजन) LD & CP (O.L.)	
				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछडा वर्ग			विशेष पिछडा वर्ग				
	सा.	महिला		सा.	महिला		सा.	महिला		सा.	महिला		सा.	महिला		वर्तमान के पद	बैकलॉग के पद
		सा.	वि.		सा.	वि.		सा.	वि.		सा.	वि.		सा.	वि.		
11	5	1	–	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–

नोटः– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकेगी।

विशेष जन (निःशक्तजन) व्यक्तियों के लियेः–

(अ) उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यार्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता हैः–
O.L.- One leg affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
O.A.- One arm affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यार्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा। उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(स) आवेदन–पत्र के यथा स्थान पर वो विशेष 'निःशक्त व्यक्ति' (विकलांग) का उल्लेख करें तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों मे से 5% पद विधवा/परित्यक्या महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधवा/परित्यक्या महिला उपलब्ध नहीं होने पर इन्हें उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जावेगा।

राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने की दशा में किन्ही भी परिस्थितयों में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों से नही भरा जावेगा। पिछडी जाति के योग्य एवं पात्र अभ्यार्थियों के उपलब्ध नही होने पर उक्त पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

विकलांग अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने पर इनके आरक्षित रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों से आगामी तीन वर्ष तक नही भरा जावेगा।

अनिवार्य योग्यताः– खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 21 के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषक की योग्यता की प्रति संलग्न।

योग्यताएं/अनुभव अधिमान्य (हिन्दी) मेंः– "देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान"

पद का वेतनमानः– 15600–39100 (पे बैंड 3) (ग्रेड–पे सं0 15, 5400/–) में दो वर्ष तक परिवीक्षाकाल में वर्तमान में देय रूपये 16,800/– प्रतिमाह दिया जायेगा।

आयु (क) आयु सीमा– न्यूनतम एवं अधिकतमः– 22 वर्ष न्यूनतम एवं 45 वर्ष अधिकतम।

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूटः–

(1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गतः–

25/05/2000 के अनुसरण में अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति के लिये अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(2)कार्मिक/क–2/84 भाग 18 दिनांक 30/04/2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

(iii) Ex- Service Man अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

(iv) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा नही है।

(v) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/09/2000 के अनुसरण में सामान्य वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष पिछडे वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।

पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:– खाद्य विश्लेषण से संबंधित कार्य

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने के अधिकतम एक माह में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ07(1)डी.ओ.पी./ए–II/1995(10/03) दिनांक 08/04/03 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30/06/06 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीयन की सूचना लिया जाना अनिवार्य है।

अभ्यार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। जिन पुरूष/महिला अभ्यार्थी के एक से अधिक पत्नि/पति है वे इस नियुक्ति के पात्र नही होगे। जिन अभ्यार्थियों ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इन नियुक्तियों के पात्र नही होंगे।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।